क्रम-संख्या–161

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, सोमवार, 1 अगस्त, 2022

श्रावण 10, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 361 / 79-वि-1–2022-2-क-5-2022

लखनऊ, 1 अगस्त, 2022

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदया द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2022) जिससे आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2022

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2022)

[भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूंकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2022 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 07 अगस्त, 2001 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 2001 के दीर्घ नाम का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के दीर्घ नाम में, शब्द ''एक विश्वविद्यालय'' के स्थान पर शब्द ''लखनऊ में एक विश्वविद्यालय, जिसका मुख्य परिसर लखनऊ में और संघटक इकाई/परिसर नोएडा में होगा'', रख दिये जायेंगे।

धारा 3 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 3 में, उप–धारा (4) के पश्चात निम्नलिखित उप–धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

''(4–क) नोएडा परिसर, जो दिनांक 09 जून, 2014 से संचालित किया जा रहा है, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लखनऊ का संघटक इकाई/परिसर समझा जायेगाः–

(क) संघटक इकाई/परिसर के संचालन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुज्ञा प्राप्त की जायेगी। प्रायोजक निकाय, राज्य में उच्च शिक्षा संस्थान या दूरस्थ परिसर केन्द्र हेतु केन्द्र/राज्य सरकार अथवा केन्द्र/राज्य विनियामक निकायों द्वारा यथा अवधारित भूमि और अन्य अवसंरचनात्मक तथा शैक्षणिक सुविधाओं के प्रतिमानों के सम्यक् अनुरूप होगा;

(ख) संघटक इकाई/परिसर के समग्र कार्य निस्पादन का अनुश्रवण, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और परिसर में संचालित किये जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित संस्थाओं/आयोगों/बोर्डों द्वारा किया जायेगा। प्रबन्धन, शैक्षणिक विकास तथा समुन्नति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा उत्तर प्रदेश शासन के मार्गदर्शी सिद्धान्त बाध्यकारी होंगे।

(ग) यदि उक्त संघटक इकाई/परिसर की कार्यप्रणाली असंतोषजनक रहती है तो निजी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या राज्य सरकार द्वारा उक्त संघटक इकाई/परिसर को बन्द करने के लिए अनुदेश दिया जायेगा और ऐसा अनुदेश विश्वविद्यालय के लिए बाध्यकारी होगा। ऐसी स्थिति में उसमें पहले से नामांकित छात्रों के हित का संरक्षण इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया जायेगा।''

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

———

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 361/LXXIX-V-1–2022-2-ka-5-2022

Dated Lucknow, August 1, 2022

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Maharishi Soochna Prodyogiki Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhyadesh, 2022 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 5 of 2022) promulgated by the Governor. The I.T. evam Electronics Anubhag-2 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH MAHARISHI UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY (AMENDMENT) ORDINANCE, 2022

(U.P. ORDINANCE NO. 5 OF 2022)

[*Promulgated by the Governor in the Seventy third Year of the Republic of India*]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Maharishi University of Information Technology Act, 2001.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title and commencement

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Maharishi University of Information Technology (Amendment) Ordinance, 2022.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from August 07, 2001.

Amendment of the long title of U.P. Act no. 31 of 2001

2. In the long title of the Uttar Pradesh Maharishi University of Information Technology Act, 2001, hereinafter referred to as the principal Act, for the words "a University" the words "a University at Lucknow with the main campus at Lucknow and with constituent unit/campus at NOIDA" shall be *substituted*.

Amendment of section 3

3. In section 3 of the principal Act, after sub-section (4) the following sub-section shall be *inserted*, namely:-

"(4-A) The Noida campus which is being operated since June 9, 2014, shall be deemed to be the constituent unit/campus of the Maharishi University of Information Technology, Lucknow subject to the following conditions :-

(a) for the operation of the constituent unit/campus, permission of University Grants Commission (UGC) will be obtained. The sponsoring body shall duly conform to the norms of the land and other infrastructural and academic facilities as determinded by the Central/State Government or Central/State regulatory bodies for a higher education institute or off-campus centre in the State;

(b) The over-all performance of the constituent unit/campus shall be monitored by the University Grants Commission (UGC)/All India Council for Technical Education (AICTE) and Institutions/Commissions/Boards related to the various courses being run in the campus, under the provisions of this Act. The directions of the University Grants Commission (UGC) and the Government of Uttar Pradesh for management, academic development and improvement shall be binding;

(c) If the functioning of the said constituent unit/campus remains unsatisfactory, the private University shall be instructed by the University Grants Commission (UGC) or State Government to close down the constituent unit/campus and such instruction shall be binding upon the University. In such a situation, the interest of the students already enrolled therein shall be protected under the provisions of this Act."

ANANDIBEN PATEL,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 352 राजपत्र–2022–(574)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 37 सा0 विधायी–2022–(575)–300 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
352 RPH 2022 (Maharshi university) (Addhyadesh) data 4e